रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 796] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2014/चैत्र 7, 1936
No. 796] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2014/CHAITRA 7, 1936

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

का.आ. 961(अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 6 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एततद्वारा श्री गौतम गुहा, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को श्री एस. के. श्रीवास्तव के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का सदस्य मनोनीत करती है तथा उस प्रयोजनार्थ का.आ. 793 (अ), दिनांक 20 मार्च, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या वी.16011/1/2009-एम.ई-I दिनांक 20 मार्च, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 2 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जानी चाहिए, अर्थात्:

2. **"श्री गौतम गुहा,**
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
नई दिल्ली"

[फा. सं. वी-16011/1/2009-एम.ई.-I]

संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना का.आ. 793 (अ), दिनांक 20 मार्च, 2013 के तहत भारत के राजपत्र (अ) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

S.O. 961(E).— In exercise of powers conferred by clause (d) of Section 4, read with Sub-section (3) of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the Central Government hereby nominates Sh. Gautam Guha, Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi to be a member of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi in place of Shri S.K. Srivastava and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, number V-16011/1/2009-ME-I dated the 20th March, 2013, published in the Gazette of India Part ll, section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 793 (E) dated 20th March, 2013:—

In the said notification, for serial number 2 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:—

"2. Shri Gautam Guha,
Additional Secretary & Financial Advisor,
Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi."

[F. No. V-16011/1/2009-ME-I]

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.

Foot Note:—The Principal notification was published in the Gazette of India (E) *vide* S.O. 793(E) dated 20.03.2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.